संख्या-9/2024/1039/22-4-2023-1764567

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 07 फरवरी, 2024**

विषय:- कारागार के कृषि फार्मों हेतु ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32539/कृषि-2(1)/139/2023-24, दिनांक 02 नवम्बर,2023 एवं पत्र संख्या-1949/कृषि-2(1)/139/2023-24, दिनाँक 18.01.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कारागारों द्वारा प्रस्तावित माँग के अनुसार नैतिक उपयोग की छोटी-छोटी मशीनों, उपकरणों तथा सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति के साथ-साथ कारागारों के कृषि फार्मों हेतु ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की व्यवस्था हेतु धनराशि रू0 7090622/- (रूपया सत्तर लाख नब्बे हजार छः सौ बाइस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	कार्य	मात्रा	दर	कुल लागत
1	वित्तीय वर्ष 2020-21 के ट्रैक्टर के ट्रान्सपोटेशन की देयता।	01	4114.00	4114.00
2	हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रॉली	13	230487	2996331.00
3	पोटेटो प्लाण्टर	04	148800	595200.00
4	पोटेटो डिगर	05	145000	725000.00
5	कल्टीवेटर	06	40500	243000.00
6	रोटावेटर	03	134998	404994.00
7	बैट्री चालित स्प्रे मशीन	04	2300	9200.00
8	हैरो डिस्क	03	124397	373191.00
9	लैण्ड लेवलर	01	29792	29792.00
10	लेजर लैण्ड लेवलर	01	280000	280000.00

11	हैण्ड हेल्ड ब्रुश कटर	05	20000	100000.00
12	49.5 एचपी का ट्रैक्टर (ACE DI 550 NG PS)	02	664900	1329800.00
			योग	**7090622.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरण/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक/माडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 70,90,622 (रुपये सत्तर लाख नव्वे हजार छह सौ बाईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002600 समस्त कारागार **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E-12-413-X-2023-24, दिनांक-06 फरवरी, 2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-9/2024/1039(1)/22-4-2023-1764567, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त। (आय-व्यगयक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।